फर्द अहकाम

रामजीलाल बनाम किस्तूरचन्द

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 45/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.05.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध मूलवाद में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब न देकर सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1.6186 हैक्ट, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.3899 हैक्ट, स्थित ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का दूधली, भू0अ0नि0 दूधली, तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 49/2024 उनवान रामजीलाल बनाम किस्तूरचन्द के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	